सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:– श्री अंशुल सिंह, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 238/2019 दायर दिनाँक 10.10.2019

वादी		प्रतिवादीगण
1. ललीकंवर पत्नि स्व. प्रताप सिंह उर्फ पपूसिंह उम्र 39 साल, जाति–राजपूत, निवासी–कुड़ोली तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. तहसीलदार डीडवाना

दावा बाबत्
रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 L.R. Act.

उपस्थित:–

1. श्री भैरो सिंह वकील वादीनी।

दिनाँक 10.02.2020

–:: निर्णय ::–

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, खेत खसरा नम्बर 62 रकबा 19 बीघा 14 बिस्वा, खेत खसरा नम्बर 103 रकबा 00 बिघा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 104 रकबा 17 बीघा 01 बिस्वा व खसरा नम्बर 266 रकबा रकबा 16 बीघा 13 बिस्वा, कुल खसरान् 4 रकबा 53 बीघा 13 बिस्वा वाकै शरहद कुड़ोली है। इन खसरानो की खातेदारी में मेरे पति का नाम पपूसिंह के नाम से संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। नकुलात् खतौती दावा के साथ में प्रस्तुत है।

यह है कि उपरोक्त वाद के पद सं.1 में वर्णित कुल खसरा नम्बर की भूमि वादीनी के पति व उसके कुटुम्बिक सदस्यों की पैतृक कब्जेकाश्त व खातेदारी की भूमि है जो कि पहले वादीनी के पति के पूर्वजो के नाम से खातेदारी में अंकित रही पूर्वजो के फौत होने पर उनकें जायज उतराधिकारी व वारीशान के नाम जरिये फोतगी नामान्तरण के खाजेदारी में अंकित हुई है। वादिनी का पति भी दिनांक 26.02.2005 को फोत हो चूका है।

यह है कि वादीनी के पति का वास्तवीक व सही नाम प्रतापसिंह पुत्र इन्द्रसिंह जाति राजपूत, निवासी कुड़ोली है यही नाम वादिनी के परिवारीक राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, वादिनी की पुत्रीयों की अंकतालिका में पिता का नाम, वादिनी के पति पहचान–पत्र व मृत्यू

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 238 / 2019 दायर दिनाँक 10.10.2019 निर्णय दिनाँक 11.02.2020 लालीकंवर बनाम तहसीलदार डीडवाना।

प्रमाण–पत्र, सरपंच ग्राम पंचायत पिड़वा का प्रमाण–पत्र की मूल प्रति में अंकित है, इन सभी दस्तावेज की फोटो प्रतियां दावा के साथ में प्रस्तुत है।

यह है कि उपरोक्त वाद के पद सं0 1 में वर्णित खसरान् न0 की खातेदारी में वादीनी के पति का नाम प्रतापसिंह पुत्र इन्द्रसिंह के बजाय पपूसिंह पुत्र इन्द्रसिंह अंकित किया हुआ है जिसकी जानकारी वादीनी को नकल खतौनी लेने से दिनांक 30.09.2019 को हुई।

यह है कि वादिनी के पति का पपूसिंह पुत्र इन्द्रसिंह नाम खातेदारी में कतई गलत अंकित हुआ है इस नाम का कोई व्यक्ति न तो पहले ग्राम कुड़ोली में था और न वर्तमान में है, यह नाम वादीनी के पति के सही नाम के बजाय कतई गलत अंकित हुआ है इससे वादीनी के जायज अधिकार खतरे में पड़ गये है वादीनी अपने पति के गलत अंकित नाम को दुरूस्त करवा कर अपने पति का सही नाम खातेदारी में अंकित कराने का कानूनी तोर पर हकदार है अतः वादीनी को यह दावा करना लाजमी हुआ है।

यह है कि बिनाय दावा सरकारी सहायता लेने के लिए दिनांक 30.09.2019 को नकुलात खतौनी प्राप्त करने पर उनमें वादीनी के पति का नाम बजाये प्रतापसिंह पुत्र इन्द्रसिंह के स्थान पर पपूसिंह पुत्र इन्द्रसिंह अंकित होने की जानकारी होने से अन्दर हदूद अदालत हाजा पैदा हुई, इस अदालत को यह दावा सुनने का अधिकार है दावा अन्दर मयाद प्रस्तुत है।

प्रार्थना वादी यह है कि –

1. कि खेत खसरा नम्बर 62 रकबा 19 बीघा 14 बिस्वा, खेत खसरा नम्बर 103 रकबा 00 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 104 रकबा 17 बीघा 01 बिस्वा व खसरा नम्बर 266 रकबा 16 बीघा 13 बिस्वा कुल खसरान् 4 रकबा 53 बीघा 13 बिस्वा वाकै शरहद कुड़ोली की खातेदारी में वादीनी के पति का नाम जो पपूसिंह पुत्र इन्द्रसिंह गलत दर्ज है, की दुरूस्ती करवाकर इसके स्थान पर वादीनी के पति का नाम खातेदारी में प्रतापसिंह पुत्र इन्द्रसिंह अंकित करवाये जावें।

प्रकरण में तहसीलदार, डीडवाना से तथ्यात्मक रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार डीडवाना ने अपने पत्र क्रमांक 169 दिनांक 29.01.2020 के द्वारा रिपोर्ट पेश की। तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट अनुसार ग्राम कुड़ोली के मौजिज व्यक्तियों से पूछताछ की गई तो बताया कि लालीकंवर के पति का

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 238 / 2019
दायर दिनाँक 10.10.2019 निर्णय दिनाँक 11.02.2020
लालीकंवर बनाम तहसीलदार डीडवाना।

नाम प्रतापसिंह पुत्र इन्द्रसिंह कौम राजपूत निवासी कुड़ोली है जो कि वादीनी के पति के राशन कार्ड, पहचान–पत्र आदि के अनुरूप है

अतः वादीनी के पति नाम प्रतापसिंह पुत्र इन्द्रसिंह है जो कि सही है।

वकील वादी की बहस सुनी गई। रेकर्ड का अवलोकन किया। तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट अनुसार वादीनी के पति का नाम प्रतापसिंह पुत्र इन्द्रसिंह दर्ज किया जाना उचित है। अतः वादी का वाद डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

अतः हस्ब दावा डिक्री वाके सरहद कुड़ोली के खसरा नम्बर 62 रकबा 19 बीघा 14 बिस्वा, खसरा सं0 103 रकबा 00 बीघा 05 बिस्वा, खसरा सं0 104 रकबा 17 बीघा 01 बिस्वा व खसरा नम्बर 266 रकबा 16 बीघा 13 बिस्वा में वादीनी के पति का नाम पपूसिंह पुत्र इन्द्रसिंह के स्थान पर प्रतापसिंह पुत्र इन्द्रसिंह दुरूस्त किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो।

(अंशुल सिंह)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक 11.02.2020 को सरे ईजलास में सुनाया गया।

(अंशुल सिंह)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

डिक्री वमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री अंशुल सिंह, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 238/2019 दायर दिनॉक 10.10.2019

वादी		प्रतिवादीगण
1. लालीकंवर पत्नि स्व. प्रताप सिंह उर्फ पपूसिंह उम्र 39 साल, जाति–राजपूत, निवासी–कुड़ोली तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. तहसीलदार डीडवाना

दावा बाबत्
रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 L.R. Act.

दिनॉक 11.02..2020

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री भैरो सिंह वकील वादीनी की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्ब दावा सरहद वाके सरहद कुड़ोली के खसरा नम्बर 62 रकबा 19 बीघा 14 बिस्वा, खसरा सं0 103 रकबा 00 बीघा 05 बिस्वा, खसरा सं0 104 रकबा 17 बीघा 01 बिस्वा व खसरा नम्बर 266 रकबा 16 बीघा 13 बिस्वा में वादीनी के पति का नाम पपूसिंह पुत्र इन्द्रसिंह के स्थान पर प्रतापसिंह पुत्र इन्द्रसिंह दुरूस्त किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बावत......................–...... ....खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज की तारीख 11.02.2020 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील	–		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	–		फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2020.02.18 15:54:39 IST
Reason: SelfAttested
Location: